भारत सरकार

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं.2010/टेली/6(2)/1 नई दिल्ली, 21.01.2013

दूरसंचार परिपत्र सं.03/2013

महाप्रबंधक/सभी भारतीय रेलें
सभी उत्पादन इकाइयां, कोर/इलाहाबाद,
महानिदेशक/अअमासं एवं रेलवे स्टाफ कॉलेज, आईजी/आरपीएफ,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/कॉफमो, डीसीडब्ल्यू, आईआरपीएमयू और
छपरा एवं रायबरेली की नई उत्पादन इकाइयां,
निदेशक/इरीसेट, इरीसेन, इरीन, इरिमी, इरीटेम,
अध्यक्ष, सभी रेल भर्ती बोर्ड

विषय: भारतीय रेलों पर माइक्रोवेव/यूएचएफ को हटाना।

भारतीय रेलों पर माइक्रोवेव प्रणाली को बंद करने के लिए दिशा-निर्देशों को तैयार करने का मामला पिछले कुछ समय से बोर्ड में विचाराधीन रहा है। इस संबंध में बोर्ड (सदस्य बिजली) द्वारा निम्नलिखित नीति संबंधी दिशा-निर्देश अनुमोदित किए गए हैं:-

क. माइक्रोवेव प्रणाली:

(i) रेलों द्वारा रिंग सुरक्षा के साथ ओएफसी मुहैया कराए गए मार्गों पर एनालॉग और डिजीटल माइक्रोवेव/यूएचएफ के सिस्टमों को बंद किया जाए।

(ii) एनालॉग माइक्रोवेव सिस्टम, जिसे रेडियो पैच मुहैया कराने के लिए ओएफसी मार्गों के लिए सुरक्षा मार्ग के रूप में उपयोग किया जाता है, को भी बंद किया जाए। रेलों को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से चैनलों को किराए पर लेकर रेडियो पैच सर्किटों की व्यवस्था करनी चाहिए।

(iii) ओएफसी लिंक के लिए सुरक्षा के रूप में उपयोग किए जा रहे डिजीटल माइक्रोवेव सिस्टम को तब तक जारी रखा जाए जब तक ओएफसी पर रिंग सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती। रिंग सुरक्षा के कार्य में तेजी लाई जाए।

(iv) पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों और उन स्थानों, जो रेलपथ से दूर हैं, में महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी मुहैया कराने के लिए उपयोग किए जा रहे माइक्रोवेव लिंक को आवश्यकता के आधार पर बनाए रखा जाए।

ख. माइक्रोवेव लिंक के बंद होने के परिणामस्वरूप रिलीज हुए माइक्रोवेव अवसंरचना की उपयोगिता –

(i) उन मार्गों पर, जहां एमटीआरसी प्रणाली स्वीकृत की गई है, माइक्रोवेव लिंक के बंद होने के कारण रिलीज हुए माइक्रोवेव/यूएचएफ टावर और स्पेस को बनाए रखा जाए और इसे जहां कहीं आवश्यक हो एमटीआरएस प्रणाली के लिए उपयोग किया जाए तथा शेष अवसंरचना का मंडल/रेलवे द्वारा वैकल्पिक प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाए।

(ii) रेलटेल द्वारा उपयोग किए जा रहे टावरों और भविष्य में उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित टावरों को बनाए रखा जाए।

(iii) रेलटेल के लिए अपेक्षित अतिरिक्त स्पेस को रेल मंत्रालय और रेलटेल के बीच हस्ताक्षरित संशोधित करार में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसरण में मुहैया कराया जाए।

(iv) बाकी बचे हुए स्पेस का परिसंपत्तियों की मरम्मत एवं अनुरक्षण, कर्मचारी प्रशिक्षण आदि के लिए उपयोग किया जाए।

(v) जिन टावरों का न तो रेलटेल द्वारा उपयोग किया जा रहा है और न ही रेलों द्वारा उपयोग किया जा रहा है उन्हें स्क्रैप किया जाए तथा रिलीज़ हुए स्पेस का मंडल/रेलवे द्वारा उपयोग किया जाए।

(vi) लाइन को बेहतर ढंग से देखने के लिए रेलपथ से दूर स्थित माइक्रोवेव टावरों और जहां कोई ओएफसी संचार सुविधा उपलब्ध नहीं है, को रेलवे की संचार व्यवस्था के लिए इन महत्वपूर्ण स्थानों में उपयोग के लिए बनाए रखा जाए।

ग. माइक्रोवेव टॉवरों का अनुरक्षण:

(i) ओएफसी मार्गों पर मुहैया कराए गए एनालॉग और डिजीटल माइक्रोवेव/यूएचएफ टावरों जिनमें केवल रेलटेल द्वारा एन्टीना/एन्टीने लगाए गए हैं, का रख-रखाव रेलटेल द्वारा किया जाएगा।

(ii) उन डिजीटल माइक्रोवेव टावरों, जिनमें केवल रेलवे द्वारा एन्टीना/एन्टीने लगाए गए हैं, का रख-रखाव रेलों द्वारा किया जाएगा।

(iii) उन टॉवरों, जिनमें रेलटेल के साथ-साथ रेलवे द्वारा भी एन्टीने लगाए गए हैं, का रख-रखाव रेलटेल द्वारा किया जाएगा। इन टावरों की अनुरक्षण लागत लगाए गए एन्टीनों की संख्या-भार के अनुपात में विभाजित की जाएगी।

(iv) रेलों द्वारा टावरों के रख-रखाव करने की स्थिति में अतिरिक्त एन्टीना/एन्टीने लगाने के लिए टावरों की संरचनात्मक स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। रेलटेल द्वारा अनुरक्षण किए जा रहे टावरों में यदि रेलवे अतिरिक्त एन्टीना मुहैया करा रही हो तो भी इसी प्रकार की प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। टावर के संरचनात्मक स्थायित्व और संरक्षा का उत्तरदायित्व उस एजेन्सी पर होगा, जो इन टावरों की देख-रेख करेगी।

घ. **माइक्रोवेव अनुरक्षण कर्मचारियों का पुनर्नियोजन:**

एमडब्ल्यू संगठन से कार्यमुक्त किए गए कर्मचारियों का पुनर्नियोजन रेलवे बोर्ड के दिनांक 28.11.2000 के पत्र सं.ई(एमपीपी)/99/1/75 और दिनांक 25.05.2004 के ई(एनजी)।-2000/एसआर6/23 के उपबंधों के अनुसार किया जाना चाहिए। बोर्ड के दिनांक 04.04.2006 के पत्र सं.2001/टेली/एमडब्ल्यू/7/सी/पार्ट में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार पदों को एक इकाई से दूसरी इकाई में अंतरित नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में बोर्ड के दिनांक 05.04.2006 के पत्र सं.ई(एमपीपी)2003/1/88 में यथा उल्लिखित अनुदेशों का अनुपालन किया जाए।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त एवं जन शक्ति योजना (एमपीपी) निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

3. कृपया पावती दें।

(राकेश रंजन)
निदेशक/दूरसंचार
दूरभाष: 011-23388504, 030-44613
फैक्स: 011-23304690, 030-44690
ई-मेल: dtele@rb.railnet.gov.in

प्रतिलिपि प्रेषित:

(i) सीएसटीई/सभी भारतीय रेलें.

(ii) प्रबंध निदेशक/ रेलटेल को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु.